प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)/प्रधान आरक्षक(कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा-2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि : 08.06.2017		आवेदन भरने की अंतिम तिथि : 07.07.2017	
आवेदन मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 08.06.2017		आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 12.07.2017	
परीक्षा दिनांक व दिन		**19.08.2017 से** 18.09.2017	
परीक्षा शुल्क			
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		**दो प्रश्न पत्र के लिये**	रू. **700/-**
		एक प्रश्न पत्र के लिये	रू. **500/-**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		**दो प्रश्न पत्र के लिये**	रू. **350/-**
		एक प्रश्न पत्र के लिये	रू. **250/-**
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
आरक्षक संवर्ग / प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)				
19.08.2017 से 18.09.2017	**एक**	**प्रात:** 07:30 **बजे**	08:50 **से** 09:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**प्रात:** 09:00 **से** 11:00 **बजे तक** (2:00 **घंटे**)
प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)				
19.08.2017 से 18.09.2017	**एक**	**अपरान्ह** 01:30 **बजे**	02:50 **से** 03:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**सायं** 03:00 **से** 05:00 **बजे तक** (2:00 **घंटे**)

टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
3. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
4. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
5. मण्डल द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा अन्य को चयनित कर सकता है। ई आधार मान्य नहीं है।
6. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
7. **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)/प्रधान आरक्षक(कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा-2017

विषय सूची

क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	**01**	**पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा-2017** हेतु विभागीय नियम	**03-27**
2.	**2**	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**28-48**
3	**3**	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**49**
4.	**प्रारूप-1**	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	**50**
5.	**प्रारूप-2**	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	**51**
6	**प्रारूप-3**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**52**
7	**प्रारूप-4**	अन्य प्रारूप	**53-56**

अध्याय - 1.

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक(कम्प्यूटर)/प्रधान आरक्षक(कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2017 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य:-

पु.मु./2-चयन/स-3/1018/2017 दिनांक 06/05/2017 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक (जी. डी.), आरक्षक (रेडियो), आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (ट्रेड), एवं प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) तथा सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक पुरुष/महिला उम्मीदवारो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषायें:-

(क) ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

(ख) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

(ग) ''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक -एफ-8-5 पच्चीस-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

(च) "पी.ई.बी." से अभिप्रेत है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।

(छ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेष पुलिस विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

(ज) ''समिति'' से अभिप्रेत है - पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई चयन समिति।

(झ) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है - प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ।

(ट) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा

(ढ) ''तृतीय चरण'' से अभिप्रेत है - पुलिस विभाग द्वारा आयोजित वाहन चालन एंव ट्रेड- टेस्ट की परीक्षा।

1.3 रिक्त पदों की तालिका:-

सहायक उप निरीक्षक(कम्प्यूटर)/प्रधान आरक्षक(कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों का एकजाई विवरण

क्रं.	पदनाम	रिक्त पदों का विवरण																									पोस्ट
		अनारक्षित					अजा					अजजा					अपिव					कुल				योग	
		कुल	ओपन	महिला	होमगार्ड	भू.पू.	कुल	ओपन	महिला	होमगार्ड	भू.पू.	कुल	ओपन	महिला	होमगार्ड	भू.पू.	कुल	ओपन	महिला	होमगार्ड	भू.पू.	ओपन	महिला	होमगार्ड	भू.पू.		कोड
1	आरक्षक (जी.डी.)	**7088**	3460	1851	1066	711	**1989**	1038	451	301	199	**2476**	1272	582	372	250	**1275**	659	295	196	125	**6429**	**3179**	**1935**	**1285**	**12828**	**01**
2	आरक्षक (चालक)	**361**	283	0	49	29	**120**	111	0	5	4	**159**	131	0	17	11	**62**	58	0	3	1	**583**	**0**	**74**	**45**	**702**	**02**
3	आरक्षक (कुक)	**76**	61	04	7	4	**16**	14	1	1	0	**32**	27	1	3	1	**12**	12	0	0	0	**114**	**6**	**11**	**5**	**136**	**03**
4	आरक्षक (नाई)	**19**	19	0	0	0	**1**	1	0	0	0	**7**	7	0	0	0	**7**	7	0	0	0	**34**	**0**	**0**	**0**	**34**	**04**
5	आरक्षक (धोबी)	**21**	19	2	0	0	**4**	4	0	0	0	**5**	5	0	0	0	**9**	8	1	0	0	**36**	**3**	**0**	**0**	**39**	**05**
6	आरक्षक (मोची)	**6**	6	0	0	0	**8**	8	0	0	0	**1**	1	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**06**
7	आरक्षक (वाटर कैरियर)	**64**	51	0	7	6	**9**	9	0	0	0	**15**	13	0	1	1	**9**	9	0	0	0	**82**	**0**	**8**	**7**	**97**	**07**
8	आरक्षक (स्वीपर)	**16**	11	1	2	2	**21**	18	1	1	1	**5**	5	0	0	0	**2**	2	0	0	0	**36**	**2**	**3**	**3**	**44**	**08**
9	आरक्षक (मेसन)	**6**	4	0	1	1	**3**	3	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**2**	2	0	0	0	**9**	**0**	**1**	**1**	**11**	**09**
10	आरक्षक (बिगुलर)	**7**	7	0	0	0	**3**	3	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**1**	1	0	0	0	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**10**
11	आरक्षक (टेंट खलासी)	**8**	8	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**6**	6	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**11**
12	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	**79**	45	26	0	8	**24**	14	8	0	2	**20**	11	7	0	2	**0**	0	0	0	0	**70**	**41**	**0**	**12**	**123**	**12**
13	सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	**20**	11	7	0	2	**6**	3	2	0	1	**6**	3	2	0	1	**2**	1	1	0	0	**18**	**12**	**0**	**4**	**34**	**13**
	योग	**7771**	3985	1891	1132	763	**2204**	1226	463	308	207	**2732**	1481	592	393	266	**1381**	759	297	199	126	**7451**	**3243**	**2032**	**1362**	**14088**	

आरक्षण तालिका में आरक्षक (कुक, धोबी एवं स्वीपर) के पदों में महिला उम्मीदवारों के लिये रिक्त पद है । क्र.-2 आरक्षक(चालक), पद क्र;-4 आरक्षक(नाई), पद क्र.-6 आरक्षक (मोची), पद क्र.-7 आरक्षक (वाटर कैरियर), पद क्र.-9 आरक्षक (मेसन), पद क्र.-10 आरक्षक (बिगुलर), एवं पद क्र.11 आरक्षक (टेन्ट खलासी), महिला उम्मीदवारों के लिये कोई पद नहीं है । अर्थात इन पदो पर महिला उम्मीदवारों अपना आवेदन नहीं कर सकेगा ।

नोट-(1) म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये नगर सैनिक के रुप में ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक तक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये।

(2) म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/2076/7463/2015/बी-4/दो भोपाल दिनांक 19.06.2015 द्वारा महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत 'हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' आरक्षण निर्धारित किया गया है ।

(3) म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रेल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ये तीनों ही हॉरीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जावेंगे यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 33 प्रतिशत महिलायें, तथा 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। होमगार्ड सैनिकों के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल - ओवरआल'' स्वरुप का है जबकि महिलाओं तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये आरक्षण ''हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज'' स्वरुप का है । इन दो आरक्षणो में अन्तर मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (संदर्भ: 1992 SUPP (3) SCC-217) में स्पष्ट किया गया है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ: 1995 (2) SUPP, SCR - 396- 1995(5) SCC-173) का अनुसरण किया जाता है । वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 3609 of 2017 दीपा ई.बी. विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय का भी अनुसरण किया जावेगा।

(4) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:-

1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 अगस्त 2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0 राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

1.4.4 स्वंयसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

1.4.5 अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।

1.5 पद का वेतनमान:-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	आरक्षक संवर्ग	रूपये 5200 - 20200	रूपये 1900/-
2	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	रूपये 5200 - 20200	रूपये 2100/-
3	सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	रूपये 5200 - 20200	रूपये 2400/-

दिये गये समस्त संवर्गो के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियॉ देय होगी। म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9/डी/2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई हैं।

1.6 परीक्षा केन्द्र:- परीक्षा केन्द्रों का विवरण अध्याय-2 में देखें।

1.7 निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र; 3-8/2016/3 भोपाल, दिनांक 05 जून, 2017 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

1.

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**21 से 28**	**18 से 25**

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 05 = 33	25 + 08 = 33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/नि:शक्तजन	28 + 10 = 38	25 + 13 = 38

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार:-

01 प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

02 **आदेशक की कण्डिका 3.** तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1.8 उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट:-

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:

1.8.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति

वर्ग के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 अगस्त 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.8.2 मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

1.8.3 यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पचांयत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।

1.8.4 स्वयंसेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थ्यता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.8.5 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 36 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हे आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.8.6 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे ।

नोट- 1. भूतपूर्व सैनिक सवंर्ग में भू-सेना, क्षेत्रीय सेना या केन्द्र शासन के पुलिस या अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व कर्मी शामिल नहीं होंगे।

2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु में किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, आई.टी.बीपी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है। शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.8.8 मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

1.9 मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें -

1.9.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.9.2 ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

1.9.3 बिन्दु 1.9.1 से 1.9.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है

तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिये छूट मिलेगी। बिन्दु 1.9.1 से 1.9.2 तक प्रोत्साहन स्वरुप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें, बिन्दु 1.8.1 से 1.8.8 तक मिलने वाली सामान्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

1.10 बच्चे सम्बन्धी:-

कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

1.11 किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता चाहने वाले उम्मीदवारों को तदाशय का निर्धारित प्रारुप में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय-3 में दर्शाए गए हैं।

1.12 न्यूनतम शारीरिक अर्हता:-

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:-

1.12.1 ऊंचाई: पुरूष - 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये, ऊंचाई:

पुरूष - 160 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिये,

महिला - 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक सभी जाति वर्ग के लिये,

1.12.2 सीना : पुरूष - सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये,

सीना : पुरूष - सीना बिना फुलाये 76 सेंटीमीटर/फुलाने पर 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिये, महिलाओं के लिये सीने की कोई माप नहीं होगी,

अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं । इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

1.12.3 विशेष सशस्त्र बल के सभी पदों हेतु विसबल नियम, 1973 के नियम 21 एवं 22 के निम्नानुसार प्रावधान लागू रहेगें:-

ऊॅचाई	जाति	विसबल नियम 22
	सामान्य जाति	5‘6‘‘ = 167.64 से.मी.
	गोरखा, गढ़वाली, कुमांउ के मामलों में	5‘2‘‘ = 157.48 से.मी.
	मराठों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये	5‘5‘‘ =165.10 से.मी.

-यहां यह स्पष्ट किया जाता है उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को ऊँचाई मापदण्ड में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं चयन उपरांत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर चयन निरस्त किया जावेगा

-अतः यह अपेक्षा की जाती है अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं की ऊँचाई एवं सीने की माप से संतुष्ट होने पर ही उपरोक्त वर्णित पात्रता अनुसार जिला बल अथवा विशेष सशस्त्र बल हेतु आवेदन करें।

1.12.4 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.12.5 अभ्यर्थी में नॉक-नी अथवा फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोट - (1) यहा यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें ।

(2) चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीने की माप नहीं ली जावेगी।

(3) चयन प्रक्रिया के उपरान्त चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जावेगा। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

(4) न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। शारीरिक अर्हताओं में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जावेगी ।

(5) प्रक्रिया के अन्त में निराशा से बचने के लिये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व अपनी न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं के बारे में सिविल सर्जन से नाप जोख की पुष्टि कर लें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। जो उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिये स्वास्थ्य के निर्धारित मापदण्डों में अपूर्ण अथवा कम पाये जावेंगे उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उनका नाम चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा ।

1.13 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं:-

क्र.	पदनाम	अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताऐं	अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताऐं
1	आरक्षक (जीडी)	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2	आरक्षक (चालक)	10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा

		परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त भारी वाहन/परिवहन यान का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं ।	उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त भारी वाहन/परिवहन यान का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं।
3	आरक्षक (टेड्र)	कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलर 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं।	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं ।
4	आरक्षक (रेडियो)	10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 10वी कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
5	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	1. 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिक, रसायन, गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटिड संस्था से कम्प्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा	1. 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिक, रसायन, गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटिड संस्था से कम्प्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा
6	सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा राजीव गॉधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से कम्प्यूटर/आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा	यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटड संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा राजीव गॉधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से कम्प्यूटर/आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा

नोट- आरक्षक (चालक) के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ भारी वाहन/परिवहन यान का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं।

स्पष्टीकरण 1:- प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) की शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत ''उच्च शिक्षा'' से आशय सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यता है जो कि ''यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित/पंजीकृत/मान्यता प्राप्त/संबंद्ध संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से कम्प्यूटर/आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या कम्प्यूटर/आई.टी. के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि है''।

स्पष्टीकरण 2:- सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) की शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत ''उच्च शिक्षा'' से आशय ''कम्प्यूटर/आई.टी. के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि'' से है।

1.13.1 शैक्षणिक योग्यता में छूट:-
शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.13.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, उदाहरण के लिये यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र जो ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किये गये है उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा। एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

1.14 आवेदन करने हेतु पात्रता :- मध्यप्रदेश पुलिस में विभाग की कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर आरक्षकों को निम्नलिखित चौदह समूहों में विभाजित किया गया हैं। उम्मीदवारों की बढ़ती हुई विशाल संख्या के कारण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय को देखते हुये जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाओं, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, दूरसंचार शाखा, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा विशेष सशस्त्र बल में आरक्षकों/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुये सुगम बनाने के उददेश्य से एक लिखित परीक्षा(Common) आयोजित की जावेगी इसके अतिरिक्त प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदों हेतु तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता के अनुरूप 100 अंकों का एक पृथक प्रश्न पत्र होगा। पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के विभिन्न पदों के चौदह समूह नीचे तालिका के कालम 4 में दर्शाये गये हैं। दक्षता एवं कार्य कुशलता बनाये रखने के लिये एक उम्मीदवार को चयन परीक्षा में चौदह

समूहों में से किसी भी एक समूह के पदों हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार आवेदन करने की पात्रता होगी:-

क्रमांक	**पदनाम**	**पदस्थापना की शाखाऐं**	**चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु समूह**
1	2	3	4
1	आरक्षक (जी.डी.), जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह- A
2	आरक्षक (जी.डी.), विशेष सषस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर	समूह- A
3	आरक्षक (विशेष शाखा)	विशेष शाखा, हॉक फोर्स	समूह- A
4	आरक्षक (अ0अ0वि0)	अपराध अनुसंधान विभाग, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, फोटोग्राफी विंग, क्यू.डी.विंग,	समूह- A
4-A	आरक्षक (रेडियो) आपरेटर	पुलिस दूरसंचार	समूह- A
4-B	आरक्षक (रेडियो) जीडी	पुलिस दूरसंचार	समूह- A
5	आरक्षक(चालक) जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-B
6	आरक्षक(चालक) विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा, एम.टी. भोपाल	समूह-B
7	आरक्षक(चालक) विशेष शाखा	विशेष शाखा हॉक फोर्स	समूह-B
7-A	आरक्षक (रेडियो) चालक	पुलिस दूरसंचार	समूह-B
7-B	आरक्षक (रेडियो) डीआर	पुलिस दूरसंचार	समूह-B
8	आरक्षक(ट्रेड)-कुक, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-C
9	आरक्षक(ट्रेड)-कुक, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय इंदौर	समूह-C
10	आरक्षक(ट्रेड)-कुक, विशेष शाखा	विशेष शाखा हॉक फोर्स	समूह-C
10-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) कुक पुलिस दूरसंचार	पुलिस दूरसंचार	समूह-C
11	आरक्षक(ट्रेड)-नाई, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-D

12	आरक्षक(ट्रेड)-नाई, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्‌यालय इंदौर	समूह-D
13	आरक्षक(ट्रेड)-नाई, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-D
13-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) नाई	पुलिस दूरसंचार	समूह-D
14	आरक्षक(ट्रेड)-धोबी, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-E
15	आरक्षक(ट्रेड)-धोबी, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्‌यालय इंदौर	समूह-E
16	आरक्षक(ट्रेड)-धोबी, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-E
16-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) धोबी पुलिस दूरसंचार	पुलिस दूरसंचार	समूह-E
17	आरक्षक(ट्रेड)-मोची, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-F
18	आरक्षक(ट्रेड)-मोची, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्‌यालय इंदौर	समूह-F
19	आरक्षक(ट्रेड)-मोची, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-F
19-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) मोची	पुलिस दूरसंचार	समूह-F
20	आरक्षक(ट्रेड)-वाटर कैरियर , जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-G
21	आरक्षक(ट्रेड)-वाटर कैरियर, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्‌यालय इंदौर	समूह-G
22	आरक्षक(ट्रेड)-वाटर कैरियर, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-G
22-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) वाटर केरियर	पुलिस दूरसंचार	समूह-G
23	आरक्षक(ट्रेड)-स्वीपर ,जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-H
24	आरक्षक(ट्रेड)-स्वीपर, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्‌यालय इंदौर	समूह-H
25	आरक्षक(ट्रेड)-स्वीपर,	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-H

	विशेष शाखा		
25-A	आरक्षक (ट्रेडमेन) स्वीपर	पुलिस दूरसंचार	समूह-H
26	आरक्षक(ट्रेड)-मेसन, जिला पुलिस बल,	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-J
27	आरक्षक(ट्रेड)-मेसन, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी, रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह-J
28	आरक्षक(ट्रेड)-मेसन, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-J
29	आरक्षक(ट्रेड)-बिगुलर, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-K
30	आरक्षक(ट्रेड)-बिगुलर, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह-K
31	आरक्षक(ट्रेड)-टेन्ट खालासी, जिला पुलिस बल	जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जे.एन.पी.ए. सागर, सायबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल	समूह-L
32	आरक्षक(ट्रेड)-टेन्ट खालासी, विशेष सशस्त्र बल	विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर	समूह-L
33	आरक्षक(ट्रेड)-टेन्ट खालासी, विशेष शाखा	विशेष शाखा हाक फोर्स	समूह-L
34	प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन	पुलिस दूरसंचार	समूह-M
35	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)	राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	समूह-N
36	सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	समूह-O

1.15 परीक्षा की योजना:-

पी.ई.बी. भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.peb.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :-

1. प्रथम चरण : लिखित परीक्षा - प्रथम प्रश्न पत्र - समस्त पदों के उम्मीदवारों हेतु।
लिखित परीक्षा - द्वितीय प्रश्न पत्र - प्र. आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं

सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पद के उम्मीदवारों हेतु।

नोट:- प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पद के उम्मीदवारों हेतु प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है।

2. द्वितीय चरण: शारीरिक प्रवीणता परीक्षा - प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिये,

3. तृतीय चरण: टेड्र टेस्ट - केवल आरक्षक (चालक) तथा आरक्षक (टेड्र) के लिये प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपरान्त पात्र उम्मीदवारों के लिये।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है। किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारो को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी।

यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

1.15.1 प्रथम चरण - लिखित परीक्षा:-

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे:-

क्रं.	पद	प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतम अंक
1	आरक्षक संवर्ग/ प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	लिखित परीक्षा - प्रथम प्रश्न पत्र	02 घंटे	100
2	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) एवं सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	द्वितीय प्रश्न पत्र	02 घंटे	100

नोटः- (क)- लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा जिनके पास मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः- आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। ई-आधार मान्य नहीं है।

(ख) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(ग) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(घ) लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये आरक्षक चयन की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूचीः-

एक उम्मीदवार को चौदह समूहों में से किसी एक समूह के पदों के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। द्वितीय चरण हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिये जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों के 5 गुनी संख्या में बुलाया जावेगा।

(2) प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा कुल पूर्णाक 100 एवं 200 (लिखित परीक्षा-100 एवं 200) के आधार पर उनकी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। शेष उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के 5 गुने के लिये पृथक-पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।

यह सूचियां बनाने के बाद स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये ''ओवरआल हॅारीजेटंल आरक्षण'' एवं भू0पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॅारीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जावेगा। हारीजोन्टल ओवरआल अथवा कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ :1995 (2) SUPP, SCR - 396 - 1995(5) SCC-173) का अनुसरण किया जाता है।

स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत ''ओवरआल हॅारीजेन्टल आरक्षण'' लागू है। **शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा से छूट है** किन्तु होमगार्ड उम्मीदवारों को प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर), सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद हेतु चयन के लिये तभी विचार किया जावेगा जब वे उक्त पद के सभी निर्धारित आर्हताऐं (शैक्षणिक योग्यता) रखते हों तथा प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रुप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये उनके लिये आरक्षित पदों के पांच गुना होमगार्ड सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॅारीजेन्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंट वाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी तथा 10 प्रतिशत की 5 गुनी संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों एंव भू0पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के गैर आरक्षित उम्मीदवारों जो स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिक अथवा भू0पू0सैनिक नहीं हैं से पूरा किया जावेगा ।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियां जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॅारिजेंटल'' आरक्षण हैं तथा योग्य महिलाए उपलब्ध न होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाते हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी, उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से पूरा किया जावेगा।

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के **5** गुना संख्या में रोल नम्बर के क्रम में चयन सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी। जाति वर्ग अनुसार **5** गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के

बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या **5** गुना से अधिक हो जावे।

लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा ।

प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय/तृतीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाऊनलोड़ करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। मण्डल की वेबसाईट से डाऊनलोड़ किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा।

1.16 द्वितीय एवं तृतीय चरण - प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट:-

द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश में 6 केन्द - भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन में सम्पन्न की जावेगी **(आवश्यकता अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है)।**

1.16.1 प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जावेगी। यह कार्यवाही प्रदेश में 6 केन्द्र - भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन में सम्पन्न की जावेगी । आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा:-

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों,

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का

नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,

(4) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,

(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,

(6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,

(7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(9) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,

(10) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,

(11) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,

(12) आरक्षक (चालक) के पद हेतु भारी वाहन / परिवहन यान का ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य है।

(13) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु म0प्र0राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

नोटः-

1. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी

यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

2. यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो । यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी ।

1.16.2 शारीरिक प्रवीणता टेस्टः

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा तीन विधाओं, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक एवं लम्बी कूद में सम्पन्न की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नही दिये जायेगें यह केवल क्वालीफाईग होगी। इन तीन विधाओं को क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं:-

क्र.	पदनाम	800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय-सीमा	गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी	लम्बी कूद में सफल होने हेतु तय दूरी
1	आरक्षक(जी.डी.)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पुरूष	2 मिनिट 45 सैकेण्ड	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	13 फीट
2	आरक्षक(जी.डी.)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) महिला/महिला होमगार्ड	4 मिनिट	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0	10 फीट
3	आरक्षक (ट्रेड मेन/चालक)	3 मिनिट	निरंक	निरंक
4	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	10 फीट
5	होमगार्ड सैनिक	3 मिनिट 15 सैकेण्ड	17 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	12 फीट

नोटः-

1. आरक्षक (जी0डी0)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद हेतु पुरूष/महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त तीन विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. आरक्षक (ट्रेड) के उम्मीदवारो को मात्र 800 मीटर की दौड़ कराई जावेगी, जिसमें उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लम्बी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किये जायेंगे।
4. भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक संवर्ग के वे उम्मीदवार जो आरक्षक (ट्रेड) पदों हेतु आवेदन करते है, उन्हें एक मात्र विधा 800 मीटर दौड़-3 मिनिट 15 सैकेण्ड में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. 800 मीटर की दौड़ में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लम्बी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जावेगा।

नोटः- शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारो को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

1.16.3 ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन का टेस्ट :-

आरक्षक ट्रेडमेन/चालक के लिये ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन का टेस्ट क्वालीफाईंग स्वरुप का होगा। ट्रेड टेस्ट/वाहन चालन की वीडीयोग्राफी कराई जायेगी।

1.17 परीक्षा परिणाम की घोषणा -

1.17.1 चयन सूचीः (लिखित परीक्षा-कुल पूर्णांक 100 एवं 200) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा/ट्रेड़ टेस्ट में सफल हुये उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते है। शेष उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियॉ बनाई जायेगी।

1.17.2 यह सूचियां बनाने के बाद होमगार्ड के लिये ''ओवरऑल हॅारीजेण्टल आरक्षण'' एवं भू0पू0 सैनिकों के लिये ''कम्पार्टमेण्टवाइज हॉरीजेटंल आरक्षण'' को प्रभावी किया जाता है। हारीजोन्टल एवं कम्पाटमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्.उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के

प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ :1995 (2) SUPP, SCR - 396 - 1995(5) SCC-173) का अनुसरण किया जाता है ।

स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिये 15 प्रतिशत ''ओवरऑल हॉरीजेण्टल आरक्षण'' लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए आरक्षक संवर्ग हेतु निर्धारित लिखित परीक्षा से छूट है परंतु होमगार्ड सैनिकों को प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पदों हेतु दोनों प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है। होमगार्ड सैनिकों की वरियता(मेरिट), उनकी होमगार्ड सैनिक के रुप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये बनाई जावेगी। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा ।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेण्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंटवाइज हो जाने से इनकी मैरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

प्रतिस्थापना की कार्यवाही भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है। होमगार्ड एवं भू0पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नही होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नही होगें, बल्कि ऐसे पद उसी जाति वर्ग के अन्य उपलब्ध उम्मीदवारों से भरे जावेगें ।

1.17.3 महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित पदों के अनुसार पृथक सूचियां बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण ''कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेंटल आरक्षण हैं'' और योग्य महिलाए उपलब्ध नहीं होने से पद ''केरी फारवर्ड '' नही किये जाने हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नही होगी उस पद को उसी जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवार से भरा जावेगा।

1.17.4 लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी, अर्थात समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा ।

1.17.5 म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की तैयार की गई सूची को मण्डल की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। मण्डल द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा में उक्त सूची में चयनित उम्मीदवारों से से ईकाई में पदस्थापना की प्राथमिकता क्रम का विकल्प, एम.पी.ऑन-लाइन के पोर्टल के माध्यम से लिया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को एम.पी.ऑन-लाइन का शुल्क जमा करना होगा।

1.18 ईकाई में पदस्थापना दर्शाने वाली अंतिम चयन सूची:-

1.18.1 म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उनके मेरिट क्रम में उनके दर्शाई गयी ईकाईयों के प्राथमिकता क्रम में उपलब्ध रिक्त स्थान पर नियुक्ति प्रस्तावित करते हुये चयन सूची तैयार की जावेगी। यह चयन सूची पुलिस जोन वार एवं जिलावार बनाई जावेगी। किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का होगा ।

1.18.2 चयन समिति द्वारा सूची के अनुमोदन उपरान्त म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा चयनित उम्मीदवारों का नाम एवं परिणाम उनकी वेब साइट पर उपलब्ध कराया जावेगा। चयन सूची की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय भिजवाई जावेगी तथा संबंधित जोन एवं इकाई के नोटिस बोर्ड पर भी अविलंब चस्पा की जावेगी ।

1.18.3 चयन समिति को यह अधिकार होगा की यदि किसी इकाई के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के विकल्प प्राप्त नही होते है, तो सफल उम्मीदवारों की सूची से किसी विशिष्ट इकाई का विकल्प नही देने वाले उम्मीदवारों की पदस्थापना कर सकेगी।

1.19 यात्रा किराया:-

मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को द्वितीय/तृतीय चरण में सम्मिलित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति पुलिस विभाग द्वारा की जायेगी। उक्त हेतु उम्मीदवारों को अपना खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड सहित पास-बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, द्वितीय चरण के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.20 चरित्र सत्यापन:-

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन के आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही-सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कॉलम नम्बर 12 में सही-सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी ।

यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति अथवा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

1.21 स्वास्थ्य परीक्षण:-

उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा जिसमें उसे पुलिस सेवा के लिये निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण रूप से फिट होना अनिवार्य होगा। जिला मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार को शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी तथा उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा ।

जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा हेतु अनफिट घोषित किये जाने पर यदि उम्मीदवार असंतुष्ट रहता है, तो उसे नियमानुसार संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड तथा राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से पुनः परीक्षण कराये जाने हेतु अपील करने की पात्रता होगी तथा राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जावेगा। उम्मीदवार द्वारा अपील आवेदन उसे नियुक्ति हेतु आवंटित इकाई प्रमुख को ही करना होगा। इकाई प्रमुख द्वारा जिला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट संलग्न करते हुये संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने की कार्यवाही पश्चात, प्राप्त अभिमत अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

1.22 चयन सूची से नियुक्ति -

सीधी भर्ती के लिये उपरोक्त बिन्दु 1.17 के अन्तर्गत बनाई गई चयन सूची से ही नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जावेगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत रिमार्क न होने और स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से फिट होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी कर पुलिस लाईन अथवा सम्बन्धित कार्यालय में आमद देने का आदेश दिया जावेगा।

1.22.1 नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

1.22.2 जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1.22.3 निर्धारित प्रशिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से

हटा दिया जायेगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

1.22.4 प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें किसी वजह से कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

1.22.5 जो उम्मीदवार जिस ईकाई में नियुक्त किया जावेगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य ईकाई में स्थानान्तरण का पात्र हो सकेगा।

1.22.6 चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं व मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर पदस्थ किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू), लोकायुक्त, अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं में की जाने वाली पदस्थापना में उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

1.23 सामान्य निर्देश:- उपरोक्त नियमों के सम्बन्ध में किसी संशय अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थायी राजपत्र आदेश (G.O.P.) क्रमांक 137/12 दिनांक 30/07/2012 एवं अद्यतन संशोधन दिनांक 06.01.2016 में अंकित प्रावधान अंतिम रुप से मान्य होंगे। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अथवा अन्य किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को उसके मूल प्रमाण पत्रों की जांच में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में तथा चरित्र सत्यापन में सफल एवं योग्य होना आवश्यक है। उम्मीदवारो को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानो, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा, चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णतः योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

नोट :- उक्त निर्देशों के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक तक म.प्र. शासन द्वारा जारी समस्त नियम/निर्देश/परिपत्रों को स्वत: सम्मिलित माना जावेगा।

(प्रज्ञा ऋचा
श्रीवास्तव)

अति.पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iii) **अभ्यर्थी** अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(iv) **उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।**

2.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।(उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये ।

2\. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) **ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।**

2.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.7 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.8 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

विभागीय नियमों के अनुसार

2.9 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) **यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी ।

(ii) **लेखन लिपिक की सुविधा :-**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा या अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा। यदि परीक्षार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) **लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-**

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्तिकिया जाना अनिवार्य होगा ।

2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए ।

3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हे लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हे एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी ।

2.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाॅ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन (Unfair means)** / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करनाचा उस स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) <u>पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

2.17 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.21 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृ”ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्प”ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.23 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भवि”य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पडेगी ।
4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार

(Aadhar) से लिंक नहीं था । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वत: हो सकेगा ।

5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरखित रखा जायेगा ।

6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric स्तयापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।

7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.26 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.27 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलार्ईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शे”ा राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.32 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

2.35 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु **<u>निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता</u>** को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु **संबंधित विभाग** को प्रेषित करेगें। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

(ii) संबधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषितत पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी ।

(iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।

(vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2.36 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.37 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

खण्ड-स

2.38 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
08-06-2017	**07-07-2017**	30	**08-06-2017**	**12-07-2017**	35

2.39 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स. क्रं.	परीक्षा प्रश्नपत्र	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	आरक्षक संवर्ग / प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)	**19.08.2017 से** 18.09.2017	**रविवार**	02 **घंटे**	**प्रात:** 09:00 **से** 11:00 **तक**	100
2.	प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) / सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)	**19.08.2017 से** 18.09.2017	**रविवार**	02 **घंटे**	**सायं** 03:00 **से** 05:00 **तक**	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.40 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये**	**अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क**	**सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये**
01.	**दो**	700/-	350/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/ रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 40/	**निरंक**
02.	**एक**	500/-	250/-		**निरंक**

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क**
01.	**एक**	20/-	50/-

2.41 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र				
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन
6. नीमच	7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना
11. खण्डवा	12. गुना	13. दमोह	14. कटनी	15. सीधी

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.42

(i) **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के** 1:30 **घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।**

(ii) **परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में** अभ्यर्थी **का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा।** अभ्यर्थी **के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।**

(iii) **बायोमेट्रिक के अतिरिक्त** अभ्यर्थी **को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।**

(iv) **पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।**

(v) **पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।**

(vi) अभ्यर्थी **को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।**

(vii) **पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।**

(viii) **अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।**

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थीअपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है ।अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) **परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का** Normalisation ।**करने का प्रावधन पी.ई.बी; के पास सुरक्षित रहेगा ।**

(xi) **नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/ संशोधन किया जा सकता है ।**

(xii) **परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।**

(xiii) **ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।**

(xii) **परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।**

अध्याय - 03

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम.

लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न म.प्र .माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे ।

(अ)	सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान	40 अंक
(ब)	बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि	30 अंक
(स)	विज्ञान एवं सरल अंक गणित	30 अंक

उक्त प्रश्न पत्र के अतिरिक्त प्रधान आरक्षक) कम्प्यूटर (एवं सहा. उप निरीक्षक) कम्प्यूटर (पदों के लिये पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को उपरोक्त दर्शित प्रश्न पत्र के साथ-साथ 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की भी परीक्षा देनी होगी, जो पाठ्यक्रम अनुसार सामान्यतः कम्प्यूटर नेटवर्किंग साफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित होगी।

अध्याय-4

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	**प्रश्न क्रमांक**	**त्रुटि का विवरण**	**साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण**	**संलग्न क क्रमांक**

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर..............................

दिनांक............................ आवेदक का नाम.......................................

प्रारूप-2

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर.............................

दिनांक........................... आवेदक का नाम....................................

प्रारूप—3

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये   **4" x 5" cm photo paste here**

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzsth dk y/kq gLrk{kj ekU; ugha gksxk A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-4

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किस एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें-:

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व (अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी। स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण(

अनुभाग..जिला

....मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक......................................

प्रमाण पत्र क्रमांक....................................प्रकरण क्रमांक.................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र-नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....

विकासखण्ड........................तहसील.........................जिला..........................संभाग .... जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति) संशोधन (अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी................................ पिता/पति का नाम............................ अनुसूचित जाति /जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सील (प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम

प्रारूप-5

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलव्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें-

1. संबंधित) राजस्व (अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार। अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये-

(अस्थायी प्रमाण पत्र (नियम 8 (2)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण(

अनुभाग...जिला..मध्य प्रदेश पुस्तक क्रमांक............................प्रमाण पत्र क्रमांक.........................प्रकरण क्रमांक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर.................................. वि.ख . ...तहसील.......................................जिला .... संभाग..जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचि चत जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति) संशोधन (अधिनियम,1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम............................... अनुसूचित जाति /जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सील (प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

प्रारूप-6

अन्य पिछड़ा वर्गो के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 8(1)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण(

अनुभाग..................................जिला...............................मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक.....................
प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक...................................

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का ....नाम ....निवास/ग्राम/नगर .... वि.ख..................तहसील..................जिला ....संभाग..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम ....और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग....................................में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर) सम्पन्न वर्ग (व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केपरिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था)एस.सी.टी (.दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र/.दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम) 3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.. के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील (प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।

प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास
करता हैं।

जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी) राजस्व/(जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप-7

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अस्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 8(2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी) प्रमाणीकरण(

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक...............................प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर ....वि.ख...तहसील..जिला ....संभाग...............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम................................. और/उनका परिवार

सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला..................................... संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...क्रीमीलेयर) सम्पन्न वर्ग (व्यक्तियों /वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था)एस.सी.टी (. दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-7-26/93/1/आप्र/.दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ‘ई’ की अनुसूची के कालम) 3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक .... हस्ताक्षर

(सील (प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम,पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं। संबंधित राजस्व अधिकारी /तहसीलदार /अतिरिक्त तहसीलदार /नायव तहसीलदार

यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट :वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।